

कार्यालय—प्रधान मुख्य वन संरक्षक (T.R.E.E.), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ १ ()तक/परिसू/अप्रमुवस/ ११६०

दिनांक: १५-६-१५-

मीटिंग नोटिस

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में विभागीय विकास कार्य, कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक दिनांक: 25 जून, 2015 को अरण्य भवन स्थित सभाकम्श में प्रातः 11.00 बजे से आयोजित की जावेगी। बैठक में वृक्षारोपण अग्रिम कार्य, पौध तैयारी, पौध वितरण एवं अब तक अर्जित की गयी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अवशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में रणनीति, लेखा, प्रस्थापना, वन सुरक्षा से संबंधित विषयों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया जावेगा। उक्त बैठक को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु आपकी उपस्थिति निम्नलिखित अनुरोध के साथ प्रार्थनीय है:—

1. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक अपने संभाग से संबंधित प्रगति एवं विभिन्न सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों में दिनांक: 23.6.2015 तक अनिवार्य रूप से संबंधित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में ई—मेल पर (टैक्सट फाईल वर्ड में तथा आंकड़ों संबंधी सूचना एक्सेल में) उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य वन संरक्षकगण अपने संभाग से संबंधित सूचनाओं का एवं सी.एम.आई.एस से संबंधित सूचना का संभागवार संकलन करेंगे एवं चर्चा हेतु तैयारी करेंगे।
3. वृक्षारोपण, अग्रिम कार्य, पौध तैयारी एवं पौध वितरण एवं अन्य विकास कार्यों के क्रियान्वयन / प्रगति पर विशेष चर्चा की जायेगी।
4. बैठक के दौरान समस्त अन्य सूचनाएं जो विभिन्न प्रभागों की संबंधित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अपने स्तर से एकत्रित कराकर संकलित करेंगे।
5. बैठक के दौरान की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णयों व निर्देशों को सम्मिलित कर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण अपने प्रभाग से संबंधित कार्यवाही विवरण स्वयं तैयार करना सुनिश्चित करेंगे एवं तीन दिवस में में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय को ईमेल द्वारा apccfpfc@gmail.com apccf.pfc.forest-rj@mail.gov.in (वर्ड / एक्सेल में) प्रेषित करेंगे, ताकि समन्वय शाखा द्वारा सभी शाखाओं से प्राप्त सूचना को एकजाइ कर बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जा सके।

स्थान: सभा कक्ष, अरण्य भवन

समय: प्रातः 11 बजे से 6.00 बजे तक

दिनांक: 25 जून, 2015



(भरत तैमनी)


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ १ () तक / परिसू / अप्रमुवसं / १६१-१२१२

दिनांक: १५-६-१५-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, आर.एफ.बी.पी.-२ एवं समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक-प्रशासन / विकास / कैम्पा / मुख्यालय उत्पादन / मूल्यांकन / वन सुरक्षा / वन संरक्षण अधिनियम / श्रम एवं विधि / भू-संरक्षण / एन.टी.एफ.पी. / कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त / वानिकी प्रशिक्षण संस्थान / ईको-ट्यूरिज्म / ई.जी.एस. / सूचना प्रोग्रामिकी / वन वर्धन एवं वित्तीय सलाहकार वन विभाग
२. समस्त मुख्य वन संरक्षक —अजमेर / जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर, वन्यजीव-कोटा / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर / जयपुर / बनास नदी परियोजना, जयपुर / आयोजना, जयपुर / नदी घाटी परियोजना, कोटा / वन सुरक्षा / साझा वन प्रबंध / वन संरक्षण अधिनियम, जयपुर / विभागीय कार्य / नरेगा / आयोजना / प्रस्थापन / मुख्यालय / वन्यजीव / मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक।
३. उप वन संरक्षक, जयपुर को नियमानुसार अल्पाहार एवं वर्किंग लंच की व्यवस्था हेतु
४. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर
५. सम्पदा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर को व्यवस्था करने हेतु प्रेषित है।
६. निजी सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ट्री / कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त / वन्य जीव, राजस्थान, जयपुर


(भरत तैमनी)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(परियोजना सूचीकरण एवं समन्वय)
राजस्थान, जयपुर